राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी – सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 190/2015

1. सावल
2. रामेश्वर
3. नेपाराम
4. रिशाल सिंह

पुत्रान पन्ना जाति जाट निवासी खानपुर, तहसील बुहाना, जिला झुंझुनूं राज।

.... **वादीगण**

बनाम

1. मनकौरी पत्नी भोलाराम
2. लीलाधर पुत्र भोलाराम
3. सन्तोष पत्नी महिपाल
4. संजय पुत्री महिपाल
5. अनिता पुत्री महिपाल
6. सुनिता पुत्री महिपाल
7. संजय पुत्र हजारी
8. मुकेश पुत्र हजारी
9. सुनिता पत्नी हजारी

जाति जाट निवासी खानपुर, तह. बुहाना, जिला झुंझुनूं राज

10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बुहाना तह0 बुहाना जिला झुझुनूं राज0

.........................**प्रतिवादीगण**

दावा– बाबत खाता विभाजन

–::निर्णय::–

दिनांक :– 18–08–2022

(1). वादी का वाद रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम खानपुर भूमि जमाबंदी संम्वत 2069–2072 के खाता स. 135 के ख0 न0 374 रकबा 0.84 है0 भूमि में वादी स0 1 व 4 [illegible] 2, 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड व खातेदार कास्तकार है।
2. यह कि वाके ग्राम खानपुर स्थित भूमि जमाबंदी संवत [illegible]69–72 के खाता स0 133 के ख0 न0 377 रकबा 0.01 है0, ख0 न0 378 [illegible] ख0 न0 439 रकबा [illegible] है0, ख0

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 16:34:56 IST
Reason: Self Attested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

न0 440 रकबा 2.97 है0, ख0 न0 465 रकबा 1.96 है0, ख0 न0 535 रकबा 1.85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 8.71 है0 भूमि वादी स0 1 लगायत 4 का प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा दर हिस्सा 7.75 है0 में दर्ज रिकार्ड व खातेदार कास्तकार है शेष हिस्से पर प्रतिवादी स0 1 लगायत 9 दर्ज रिकार्ड खातेदार कास्तकार है।

3. वाद वर्णित भूमि में वादी स0 1 व 4 ने जरिये विक्रय पत्र भूमि ख0 न0 374 रकबा 0.84 है0 सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी स0 1, 2, 7 लगायत 9 से खरीद कर ली है। जिसका वादी स0 1 व 2 दर्ज रिकार्ड व कब्जे कास्तकार है।

4. यह कि वाद पत्र के खण्ड न0 2 में वर्णित भूमि को वादी स0 1 व 4 भूमि ख0 न0 465 रकबा 1.96 है0 भूमि में से 0.96 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1, 2, 7, 8, 9 के हक में विक्रय पत्र तस्दीक करवा दिया है जिसका प्रतिवादी स0 1, 2, 7, 8, 9 ने अपने नाम से नामान्तरण दर्ज नही करवाया है। इस प्रकार से वादी स0 1 व 4 वाद पत्र के खण्ड न0 2 में केवल 1.51 है0 भूमि प्रत्येक के हिस्सें पर कब्जे कास्त है। तथा वादी स0 2 व 3 का प्रत्येक का 1.93 है0 भूमि पर कब्जे कास्त है। शेष हिस्से पर प्रतिवादी स0 1 लगायत 9 कब्जे कास्त है।

5. यह कि वादी स0 1 लगायत 4 आपस में सगे भाई है उन्होने प्रतिवादीगणों को खाता विभाजन करने को कहा तो प्रतिवादीगण ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये जिस बाबत वादीगणों को यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

6. यह कि वादी स0 1 व 4 भूमि ख0 न0 465 रकबा 1.96 है0 भूमि में से 0.96 है0 भूमि प्रतिवादी स0 1, 2, 7, 8, 9 के हक में नामांतरण दर्ज करवाने को सहमत है जो कि वादीगण स0 1 व 4 द्वारा प्रतिवादी स0 1, 2, 7 ,8 ,9 द्वारा खरीद की गई है वादीगण उक्त भूमि के किसी भी हिस्से को प्रभावित करना नही चाहते है।

वाद पत्र पेश कर अनुतोश चाहा है कि –

(क). वाके ग्राम स्थित खानपुर भूमि जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता स0 135 के ख0 न0 374 रकबा 0.84 है0 भूमि में वादी संख्या 1 व 4 का 1/2, 1/2 हिस्से का अलग अलग से खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख). कि वाके ग्राम खानपुर स्थित भूमि जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता स. 133 के ख0 न0 377 रकबा 0.01 है., ख0 न0 378 रकबा 1.85 है0, ख0 न0 439 रकबा 0.07 है0, ख0 न0 440 रकबा 2.97 है0, ख0 न0 465 रकबा 1.96 है0, ख0 न0 535 रकबा 1.85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 8.71 है0 भूमि वादी स0 1 व 4 प्रत्येक का 1.51 है0, 1.51 है0 भूमि तथा वादी स0 2, 3 को प्रत्येक को 1.93 है0, 1.93 है0 भूमि का अलग अलग से खाता विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(2). दावा दर्ज पंजिका कर प्रतिवादीगण की तलबी [illegible] गयी। सभी प्रतिवादीगण की सम्यक तामिल हुई। प्रतिवादी सं. 1, 2 व 7 लगायत 9 की ओर से श्री सुरेश तंवर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया।

(3). वादीगण की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72, नकल जमाबंदी सम्वत् 2069–72 पेश किए गए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

(4). दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 02–02–2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 10.02.2022 को प्राप्त हुई । अधिवक्ता वादीगण ने ने न्यायालय हाजा उपस्थित होकर निवेदन किया हैं कि तहसीलदार बुहाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर हम सहमत है, मुताबिक विभाजन प्रस्ताव हमारा विभाजन किया जावे।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है।

–::आदेश::–

न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खानपुर स्थित भूमि ख. नं. 374 रकबा 0.84 है0, ख. नं. 377 रकबा 0.01 है., ख. नं. 378 रकबा 1.85 है0, ख. नं. 439 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 440 रकबा 2.97 है0, ख. नं. 465 रकबा 1.96 है0, ख. नं. 535 रकबा 1.85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 8.71 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ‴अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 18-08-2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:34:56
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 190/2015
निर्णय दिनांक :– 18–08–2022

सावल आदि बनाम मनकौरी आदि

<u>दावा– बाबत खाता विभाजन</u>

–:निर्णयः–

वादी की ओर से **श्री मुकेश चौधरी एडवोकेट** की व प्रतिवादी सं. 1, 2 व 7 लगायत 9 की ओर से **श्री सुरेश कुमार तंवर एडवोकेट** की उपस्थिती में इस वाद में आज दिनांक **18–08–2022** को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम खानपुर स्थित भूमि ख. नं. 374 रकबा 0.84 है0, ख. नं. 377 रकबा 0.01 है., ख. नं. 378 रकबा 1.85 है0, ख. नं. 439 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 440 रकबा 2.97 है0, ख. नं. 465 रकबा 1.96 है0, ख. नं. 535 रकबा 1.85 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 8.71 है. भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख **18–08–2022** को मेरे हस्ताक्षर से व न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2022.09.20 15:34:56 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

सुनील कुमार चौहान
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)